

कार्यालय— विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोण्डा।

संख्या: 438 / आठ-वि०भू०अ०अ० / गोण्डा / 2021,

दिनांक: 27/21

विषय:— राप्ती नहर निर्माण हेतु अर्जन प्रभावित ग्राम— लक्ष्मीनगर (पंचपेडवा) परगना व तहसील—तुलसीपुर, जनपद—बलरामपुर के अन्तर्गत प्रभावित गाटा संख्या—398 रकबा 1.1970 हे० से प्रभावित कृषकों को सामान्य सूचना की नोटिस जनपद के वेब—साइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
(एन०आई०सी०)
जनपद—बलरामपुर।

जनपद—बलरामपुर में राप्ती नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित ग्राम—लक्ष्मीनगर (पंचपेडवा) परगना व तहसील—तुलसीपुर, जनपद—बलरामपुर में स्थित गाटा संख्या—398 रकबा 1.1970 हे० का भूमि अर्जन अधिनियम—2013 के अन्तर्गत धारा—11(1) व धारा—19(1) का प्रकाशन कराया गया है। प्रकाशन के उपरान्त धारा—21 के अन्तर्गत प्रभावित कृषकों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सामान्य नोटिस जनपद के वेब—साइट पर अपलोड किया जाना है।

अतः उक्त ग्राम के प्रभावित गाटा संख्या—398 में प्रभावित कृषकों के नाम धारा—21 की नोटिस निर्गत की गई हैं, जिसकी प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त नोटिस को जनपद के वेब—साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक— सामान्य नोटिस की
दो—दो प्रति।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
गोण्डा।

संख्या व दिनांक— उक्त।

प्रतिलिपि:—

- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1— जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर।
 - 2— उप जिलाधिकारी तुलसीपुर जनपद—बलरामपुर।
 - 3— अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड—2 सोहरतगढ़, मुख्यालय बड़नी जनपद— सिद्धार्थनगर।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
गोण्डा।

अधिनियम-2013 की धारा-21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) अधिसूचना संख्या-350/आठ-वि0भू0अ0अ0 /गोण्डा-बलरामपुर/अधि0सू0/2020-2021 दिनांक 11.06.2021 निर्गत करते हैं तथा अधिशासी अभियन्ता राप्ती नहर निर्माण खण्ड-02 शोहरतगढ़ मुख्यालय बड़नी जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राप्ती मुख्य नहर निर्माण प्रयोजना के लिए जिला बलरामपुर तहसील तुलसीपुर परगना तुलसीपुर ग्राम लक्ष्मीनगर (पचपेड़वा) में स्थित अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्घोषणा संख्या-306/आठ-वि0भू0अ0अ0/गोण्डा-बलरामपुर/अधि0सू0/2020-2021 दिनांक 22.03.2021 अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोण्डा में 11:00 बजे पूर्वाह्न पर दिनांक 16/07/2021 वर्ष 2021 को उपस्थित हों तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्ध में दावे की धनराशि एवं व्यौरा अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुए अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

जनपद	परगना/तहसील	ग्राम/नगर	भूखण्ड संख्या/ गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
01	02	03	04	05
बलरामपुर	तुलसीपुर	लक्ष्मीनगर(पचपेड़वा)	398	1.1970

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार (उ0प्र0) नियमावली-2016

अभिलिखित भू-धारक/स्वामी/ उप स्वामी/भूमिधर/सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार/उप किरायेदार/ आसामी यदि कोई हो, तो उसका नाम	अपेक्षित भूमि का उद्देश्य
06	07	08
मो० इ० ई० श० पु० श० मो० व० क० श० नि० श० हरनहवा परसिया शमशुल इ० इ० लामु वेदरुल इ० लामु शमशुल इ० इ० लामु पु० श० श० क० फ० नि० श० हरनहवा परसिया, शकेशकाम पु० श० मानवाव नि० पु० श० राजा पंचपेड़वा द्वि० श० क० पु० श० शि० न० के श० श० राजुराम पु० श० क० ल० प० श० श० श० शमशुल अजोरा देवी पत्नी चान्दिका श० श० नि० ल० क० ल० क०, अ० पु० ल० र० क० व० पु० श० मो० इ० ई० श० श० श० श० श० श० श० श० श० पत्नी शीरीशंकर नि० श० श० श० श० श० श० श० शमशुल, शमशुल अजोरा देवी पत्नी शमशुल, शमशुल कु० इ० श० पु० श० श० श० श० श० शरीना शवावुन पत्नी अ० श० श० श० श० श० श०	-	राप्ती मुख्य नहर निर्माण हेतु

यह नोटिस दिनांक 27-7-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
गोण्डा।
वशभ भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोण्डा